

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

सं०- ज्ञापांक-03/स्था० विविध (क्षमतावर्द्धन)-26/2023-

(3)/रा०, पटना-15, दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय :- नवनियुक्त राजस्व अधिकारियों के सांस्थिक आवासीय प्रशिक्षण (कुल-116 राजस्व अधिकारी) पर हुए व्यय के भुगतान के निमित्त वित्तीय वर्ष-2025-26 में क्षमतावर्द्धन मद में विपत्र कोड-40-2029000030101 के विषयशीर्ष 2003 में उपबंधित राशि में से बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, गया (बिपार्ड, गया) को ₹3,17,28,688/- (तीन करोड़ सतरह लाख अठाईस हजार छः सौ अठासी रुपये) मात्र की भुगतान की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

2. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-2029-भू-राजस्व, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-003-प्रशिक्षण, उपशीर्ष-0101-क्षमतावर्द्धन विषयशीर्ष-20-03 प्रशिक्षण व्यय, विपत्र कोड-40-2029000030101 के विषयशीर्ष 2003 से विकलनीय होगा।

3. वरीय सहायक निदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, ब्रह्मयोनीपर्वत कुशडीहरा, गया जी के पत्रांक-5043, दिनांक-11.07.2025 द्वारा नवनियुक्त राजस्व अधिकारियों (कुल-116) के सांस्थिक आवासीय प्रशिक्षण पर हुए व्यय के भुगतान हेतु कुल ₹8,52,60,000/- (आठ करोड़ बावन लाख साठ हजार रुपये) मात्र का विपत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से ₹3,17,28,688/- (तीन करोड़ सतरह लाख अठाईस हजार छः सौ अठासी रुपये) मात्र का भुगतान इस मद से विकलनीय होगा।

4. विपत्र की राशि ₹3,17,28,688/- (तीन करोड़ सतरह लाख अठाईस हजार छः सौ अठासी रुपये) मात्र की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति इस मद से दी जाती है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-2029-भू-राजस्व, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-003-प्रशिक्षण, उपशीर्ष-0101-क्षमतावर्द्धन विषयशीर्ष-20-03 प्रशिक्षण व्यय, विपत्र कोड-40-2029000030101 के विषयशीर्ष 2003 में आवंटन हेतु उपलब्ध राशि के अन्तर्गत है।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से सी०एफ०एम०एस० के माध्यम से की जाएगी एवं बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान को BANDHAN BANK LTD. Swarajpuri Road, Gaya के खाता सं०-50220029265768, IFSC-BDBL0001543 में अंतरित की जाएगी।

6. राशि की निकासी क्रम में वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं०-2561 वि०(2), दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर एतत्संबंधी निर्गत परिपत्रों/आदेशों/निदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि का विचलन किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा।

8. प्रारूप में विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9. प्रस्ताव एवं स्वीकृतिदेश प्रारूप पर अपर मुख्य सचिव की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-03/स्था0 विविध (क्षमताबर्द्धन)-26/2023-

(3)/रा0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि :- वरीय सहायक निदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, ब्रह्मयोनीपर्वत कुशडीहरा, गया के पत्रांक-5043, दिनांक-11.07.2025 के प्रसंग में/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/विभागीय प्रशाखा-05 'बजट शाखा' (आवंटन निर्गत करने हेतु)/विभागीय लेखा शाखा (प्रतियों में)/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार पाण्डेय)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-03/स्था0 विविध (क्षमताबर्द्धन)-26/2023-798

(3)/रा0, पटना-15, दिनांक-04-09-2025

प्रतिलिपि :-आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(अनिल कुमार पाण्डेय)

सरकार के संयुक्त सचिव।